

23

23.4.14
11.19 AM
A.R.O.

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-1 (लागू नहीं)

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ ।

अभ्यर्थी का नाम

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक का पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट

..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं०..... में क्रम सं०

..... पर प्रविष्ट है ।

मेरा नाम है जो

..संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं०..... में क्रम सं०

पर प्रविष्ट है ।

तारीख

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 18, सिवान संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम सत्य नकाश पाण्डेय

पिता/भ्राता/प्रति का नाम कन्हैया पाण्डेय

उसका डाक पता फतेपुर, हास्पिटल रोड, सिवान, पौ०+जि०-सिवान-841226.

उसका नाम 18 सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र *(में समाविष्ट 105

सिवान विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक 190 में क्रम संख्यांक 775 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक				पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	110, बड़हरिया	145	1111	सत्येन्द्र कुशवाहा	सत्येन्द्र कुशवाहा	23.04.2014
2	105, सिवान	224	681	अनिल कु. सिंह	अनिल कु. सिंह	23.04.2014
3	108, रघुनाथपुर	32	482	पूजा कुमारी पाठक	पूजा कुमारी पाठक	23.04.2014
4	105, सिवान	183	314	सुजीत कुमार	सुजीत कुमार	23.04.2014
5	110, बड़हरिया	139	700	उमेश राम	उमेश राम	23.04.2014
6	105, सिवान	142	235	अवध किशोर सिंह	अवध किशोर सिंह	23.04.2014
7	105, सिवान	196	150	संजय कुमार	संजय कुमार	23.04.2014
8	105, सिवान	162	794	अभिषेक पुरुष	अभिषेक पुरुष	23.04.2014
9	105, सिवान	173	932	विनोद कुमार श्रीवास्तव	विनोद कुमार श्रीवास्तव	23.04.2014
10	110, बड़हरिया	139	722	रमावती देवी	रमावती देवी	23.04.2014

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

भाग-3

मैं, अम्म-4/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 43 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। जन्म तिथि 19.07.1971 के अनुसार

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

X(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में लागू नहीं दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या
(ii) मुझे इस निर्वाचन में आम आदमी पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है / मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में

(i) झाड़ू

(ii) लागू नहीं

(iii) लागू नहीं हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/भ्राता/भ्रति का नाम उपर देवनागरी (हिन्दी) (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं लागू नहीं **जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो लागू नहीं राज्य के उस राज्य में के लागू नहीं (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 23.04.2014

Satya Prakash Pandey
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में "समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

*** लागू न होनेवाले शब्द काट दीजिए।

**** जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें - "मान्यताप्राप्त राजनैतिक" दल से निर्वाचन अयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

⑤
15

भाग-3 क
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा)

क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या ~~हैं~~ / नहीं

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है - ~~नहीं~~

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्यांक..... ~~लागू नहीं~~

(ii) पुलिस थाना ~~लागू नहीं~~

(थाने)..... ~~लागू नहीं~~ जिला (जिले)..... ~~लागू नहीं~~ राज्य..... ~~लागू नहीं~~

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

..... ~~लागू नहीं~~

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/ (तारीखें)

..... ~~लागू नहीं~~

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

..... ~~लागू नहीं~~

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारवासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

..... ~~लागू नहीं~~

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)..... ~~लागू नहीं~~

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : ~~हैं~~ / नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां..... ~~लागू नहीं~~

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे..... ~~लागू नहीं~~

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है.....
..... ~~लागू नहीं~~

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें)..... ~~लागू नहीं~~

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)..... ~~लागू नहीं~~

स्थान : ~~स्थान~~

तारीख : 23.04.2014.

Satyajit Prakash Pandey
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग — 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० — 23

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 23.4.14 (तारीख) को 11.19 महीने

* अभ्यर्थी / प्रश्नप्रपक द्वारा परित्त किया गया।

तारीख 23-4-14

* जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए।

23.4.14
रिटर्निंग आफिसर
निर्देशन पत्राधिकारी
18 दिनांक

भाग — 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 36 के

अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ : —

तारीख

रिटर्निंग आफिसर

(हस्ताक्षर)

Silver

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	ALXPP0414B	2012-13	1496418.00
2.	पति या पत्नी	BDYPP4873L	2011-12	1050000.00
3.	आश्रित-1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	आश्रित-2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	आश्रित-3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभिक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं



(ड.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त नहीं

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न:- कोई मामला लंबित नहीं है।

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(ख)	उन मामलों के बारे में जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के बारे में	नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: नहीं

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के बारे में, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं



(ग)	अधिरोपित दंड	लगाय नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लगाय नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी (रु० में)	198000/-	145000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	खपत रकमा SBI Saver रु० 1300 खिलात में 12,440 रु० तथा आवधिक जमा 1300 खिलात में 127246/- रु०	खपत रकमा SBI Saver रु० 1300 खिलात में 4125/- रु० रु० फिक्स डिपोजिट स्वयं इडिडिआ में 3,50,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम (रु० में)	दो बीमा LIC का तथा एक बीमा ICICI का समर्पण मूल्य एवं जमा के अनुसार रकम 3,94,864/-	दो बीमा LIC का तथा एक बीमा ICICI का समर्पण मूल्य एवं जमा के अनुसार रकम 383340/-	एक बीमा LIC का कुल जमा राशि 1,32,020/-	एक बीमा LIC का कुल जमा राशि 129668/-	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोना 25 ग्राम रु० 79,000/-	सोना 50 ग्राम तथा चाँदी 500 ग्राम मूल्य 1,65,000/- रु०	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य (रु० में)	802550/-	1067465/-	132020/-	129668/-	शून्य

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	ग्राम गोपालपुर वि०-कुशीनगर अराजी न० 923, 413	ग्राम गोपालपुर वि०-कुशीनगर अराजी न० 781	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	0.60 एकड़	1.62 एकड़	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	4.4.2013	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	13,20,000/- रु०	शून्य	शून्य	शून्य



	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	2,00,000/-	14,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं	श्रीम. मुरादेव भोरसखेरी गोयरा पुर सर्वे नं० 1706 एवं विजयगंगा विधान सर्वे 139	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	5757 वर्ग फीट	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	6.12.2006 तथा 15.05.2006	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	3,93,000/- रुपये	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	13,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	मौजा-चक्र-मरदा, सिवान सर्वे नं०-158	मौजा-चक्र-मरदा, सिवान सर्वे नं०-158	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2025	1620	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1500	1620	लगाव नाही	लगाव नाही	लगाव नाही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	लगाव नाही	लगाव नाही	लगाव नाही
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	28-11-2008	10-6-2010	लगाव नाही	लगाव नाही	लगाव नाही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	16,00,000/- रु०	22,00,000/- रु०	लगाव नाही	लगाव नाही	लगाव नाही
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लगाव नाही	लगाव नाही	लगाव नाही	लगाव नाही	लगाव नाही
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	35,00,000/-	37,00,000/-	लगाव नाही	लगाव नाही	लगाव नाही
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लगाव नाही	लगाव नाही	लगाव नाही	लगाव नाही	लगाव नाही
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	37,00,000/- रु०	64,00,000/- रु०	लगाव नाही	लगाव नाही	लगाव नाही

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	बैंक आफ कोटा से 01 तथा गृह कर्जा एवं सहायक आर्ग सिमान से रु० 3614519-00	बैंक आफ कोटा सिमान तथा 382 सिमान से गृह तथा पैसे यस कोन रु० 3793322/-	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग (रु०)	3614519/-	3793322/-	शून्य	शून्य	शून्य
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं बाल्य चिकित्सक

(ख) पति या पत्नी एक्स-रे एवं टीकाकरण संचालन

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

एम० बी० बी० एस०, सिल्वर मेडिकल कॉलेज एवं

अस्पताल, सिल्वर (असम)

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम		श्री/क्षीमती/कु० सत्य प्रकाश पाठडेय			
2	डाक का पता		फतेपुर, हास्पिटल रोड, सिवान पो०+जिला-सिवान; 841226.			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		18,सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (बिहार)			
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)		आम आदमी पार्टी			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।		शून्य			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिन)		शून्य			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)		शून्य			
7		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	ALXPP0414B	2012-13	1496418/- रु०		
	(ख) पति या पत्नी	BDXPP4873L	2011-12	10,50,000/- रु०		
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
	विवरण	स्वयं	प्रति-या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	802550/- रु०	1067465/- रु०	132020/- रु०	129668 रु०	लागू नहीं



ख	स्थावर आस्तियां					
I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत (रु० में)	16,00,000/-	22,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	35,00,000/- रु०	64,00,000/- रु०	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	2,00,000/- रु०	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	3614519/- रु०	3793322/- रु०	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : एम० बी० बी० एस०, सिल्वर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सिल्वर, असम। (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)
----	---

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 23.04.2014 को सत्यापित किया गया।

The deponent has signed before
Notary Public Siwan in my presence
Raghunandan P. Singh e-No1605105
23/4/14

Suresh Kumar Pandey
अभिसाक्षी

Suresh Kumar Pandey
Notary Public Siwan

टिप्पण
चाहिए।

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण

2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण

3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।



टिप्पण – 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं.....

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है.....

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....

टिप्पण-7 शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।